

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू (राँची)।

धारा-बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-7 के तहत
दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-...../20.....

शंकर प्रसाद ठाकुर.....आवेदक

बनाम

अंचल अधिकारी, बुण्डू.....विपक्षी।

आदेश

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी-शंकर प्रसाद ठाकुर, पिता-श्री केशव प्रसाद ठाकुर निवासी-एन०एच०-33 बुण्डू ग्राम+पोस्ट-बुण्डू जिला-राँची ने स्वयं अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०-193 R27/2016-2017/बुण्डू में दिनांक-10.08.2016 को पारित आदेश के विरुद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
गोसाईंडीह	बुण्डू	13	83	316	05 डीसमील

चौहद्दी:-उ०-विक्रेता का नीज, द०-लीला देवी,

पू०-10 फीट का प्रस्तावित रास्ता, प०-विक्रेता नीज।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी के द्वारा समर्पित आवेदन में उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि ऑनलाईन पंजी।। में त्रुटि होने के कारण आवेदन अस्वीकृत किया गया। अतः अनुरोध है कि अंचल अधिकारी, बुण्डू को उक्त भूमि का दाखिल खारिज करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०-193 R27/2016-2017/बुण्डू का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारी के मंतव्यानुसार ऑनलाईन पंजी।। में आवेदित भूमि की जमाबंदी विक्रेता के नाम से दर्ज नहीं है।। अतएव इसी आधार पर अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण वाद अस्वीकृत की गयी है।

अपीलार्थी के द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनकर उनसे वांछित दस्तावेज प्राप्त कर जाँच-पड़ताल करते हुए करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

निम्न न्यायालय को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

8.10.20
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
बुण्डू(राँची)।

8.10.20
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
बुण्डू(राँची)।

12.10.2020